

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज शिक्षा परीक्षा-2020 में सहायक आचार्य, गृह विज्ञान के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	SHAHRAJ PARVEEN GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL UDASAR (211218)	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-08) RPSC / Appt / HRD / 2022 / 1688 दिनांक 12.12.2022
2	MANPREET KAUR GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL PARBATSAR (219588)	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-08) RPSC / Appt / HRD / 2022 / 1688 दिनांक 12.12.2022
3	ANITA Office of the District Institute for Education and Training, Chunawat, District- GANGANAGAR	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-08) RPSC / Appt / HRD / 2022 / 1688 दिनांक 12.12.2022
4	NEHA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MANIYA (211737)	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-08) RPSC / Appt / HRD / 2022 / 1688 दिनांक 12.12.2022
5	SANGEETA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SMB PHALODI (220203)	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 1 (23-08) RPSC / Appt / HRD / 2022 / 1688 दिनांक 12.12.2022

नियमानुसार परीक्षाकाल पूर्ण कर विभाग छोड़ने वाले कार्मिकों का वर्तमान धारित पद पर दो वर्ष तक लियन रहेगा। संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित ना होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।



(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/रजीगृ/अन्यत्र विभाग कार्यमुक्ति/2022 दिनांक:- 20/12/2022
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव पालनार्थ:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान-जयपुर।
3. आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
6. सम्बन्धित प्रधानाचार्य को पाबंद किया जाता है कि विभागीय नियमानुसार कार्मिक से विभाग के प्रति किसी प्रकार का बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेने पश्चात ही कार्यमुक्त किया जाये।
7. संबंधित कार्मिक.....
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग वेबसाईड पर प्रकाशनार्थ।
9. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एबी/ओएसी/शालादर्पण प्रभारी संस्थापन सी कार्यालय हाजा
10. रक्षित/निजी पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर